बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–NHM/BHDS/122/2024–पी॰पी॰एम॰- 17 - /कृ०, पटना, दिनांक- 16.06 ,2026

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् राज्य स्कीम मद से मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25, 2025–26 एवं 2026–27 तक कुल तीन वर्षों के लिए ड्रैगन फ्रूट विकास योजना हेतु कुल 300.00 लाख (तीन करोड) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए स्वीकृत राशि 60.00 लाख (साठ लाख) रूपये के अधीन 13.62 लाख (तेरह लाख बासठ हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् राज्य स्कीम मद से मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25, 2025–26 एवं 2026–27 तक कुल तीन वर्षों के लिए ड्रैगन फ्रूट विकास योजना हेतु कुल 300.00 लाख (तीन करोड) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए स्वीकृत राशि 60.00 लाख (साठ लाख) रूपये के अधीन 13.62 लाख (तेरह लाख बासठ हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–NHM/BHDS/122/2024-पी०पी०एम०–71 दिनांक–14.06.2024 द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी0पी0आर0 के तहत् राज्य स्कीम मद से मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट विकास योजना हेतु कुल तीन वर्षो के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25, 2025–26 एवं 2026–27 तक, तीन वर्षों के लिए कुल 300.00 लाख (तीन करोड) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2024–25 में 180.00 लाख रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए स्वीकृत 60.00 लाख (साठ लाख) रूपये के अधीन 13.62 लाख (तेरह लाख बासठ हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतएव यह चालू योजना है।

3. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–NHM/BHDS/122/2024-पी०पी०एम०–125 दिनांक–29.08.2025 द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी0पी0आर0 के तहत् राज्य स्कीम मद से मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट विकास योजना हेतु कुल तीन वर्षो के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25, 2025–26 एवं 2026–27 तक, तीन वर्षों के लिए कुल 300.00 लाख (तीन करोड) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26

में 21.156 लाख रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित लक्ष्य 35.26 हे0 के विरूद्ध 22.70 हे0 की उपलब्धि प्राप्त होने के कारण वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 22.70 हे0 के लिए ही आवश्यक राशि 13.62 लाख (तेरह लाख बासठ हजार) रूपये की स्वीकृति दी जा रही है। इससे संबंधित अनुसूची–1 अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

4. वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए स्वीकृत ड्रैगन फ्रूट विकास योजना अनुसूची–2 के अनुसार राज्य के 13 जिलों यथा– गोपालगंज, सारण, सीवान, सुपौल, औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, गया जी, कटिहार, नालन्दा, पश्चिम चम्पारण, पुर्णियाँ एवं समस्तीपुर में किया जाएगा।

5. ड्रैगन फ्रूट की खेती हेतु 2.0X2.0 मीटर पौधो से पौधों की दूरी अनुसार एवं प्रति पोल दो पौध हेतु प्रति हेक्टेयर 5000 पौधा लगाने हेतु निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगाये गये ड्रैगन फ्रूट हेतु 2nd Year Maintenance के रूप में कुल अनुदान 3.00 लाख (तीन लाख) का 20% अर्थात 60,000.00 (साठ हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर 75% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की क्षेत्र सत्यापनोपरांत जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

6. योजनान्तर्गत सभी घटकों का क्रियान्वयन सामान्य वर्ग के लिए उपबंधित राशि से किया जायेगा।

7. बागवानी मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान मिशन निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलो के जिला पदाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिला उद्यान पदाधिकारी हैं।

8. इस योजना कार्यान्वयन से 908 मानव दिवस सृजन होने की संभावना है।

9. इस योजना का कार्यान्वयन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–NHM/BHDS/122/2024-पी०पी०एम०–71 दिनांक–14.06.2024 तथा उद्यान निदेशालय के पत्रांक–2410 दिनांक–18.07.2024 से निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

10. योजना में स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–3 के अनुसार संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन करते हुए संबंधित जिला के कोषागार से BTC Form No. -25 पर CFMS-2.0 के माध्यम से किया जायेगा।

11. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, उद्यान, बिहार होंगे।

12. वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401001190101, विषय शीर्ष 0101.33.01 सब्सिडी	11578.00	13.62

मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0130– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007890130, विषय शीर्ष 0130.33.01 सब्सिडी	2240.00	0.00
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0152– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007960152, विषय शीर्ष 0152.33.01 सब्सिडी	0.00	0.00
कुल	**13818.00**	**13.62**

13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक 13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में चालू योजना के रूप में योजना के कार्यान्वयन प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या NHM/BHDS/122/2024 के पृ0सं0–55/टि0 पर दिनांक–15.06.2026 को प्राप्त है।
14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–NHM/BHDS/122/2024 के पृष्ठ संख्या–54/टि० दिनांक–04.06.2026 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–367 दिनांक–04.06.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/16/6

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/122/2024–पी०पी०एम०-17-/कृ०, पटना, दिनांक 16/06/2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/16/6

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/122/2024–पी०पी०एम०-17-/कृ०, पटना, दिनांक 16/06/2026

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/16/6

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/122/2024–पी०पी०एम०-17-/कृ०, पटना, दिनांक 16/06/2026

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/16/6

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOJNA 2026-27\ASO2(Gaurav)\Sanction Order (Dragon Fruit) (13.62).doc

ज्ञापांक– NHM/BHDS/122/2024–पी०पी०एम०-17 /कृ०, पटना, दिनांक 16 / 06 /2026

प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/122/2024–पी०पी०एम०-17 /कृ०, पटना, दिनांक 16 / 06 /2026

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक, उद्यान/संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/122/2024–पी०पी०एम०-17- /कृ०, पटना, दिनांक 16 / 06 /2026

प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनूसुची–1

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2024–25, 2025–26 एवं 2026–27 तक तीन वर्षों की स्वीकृत योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2026–27 की कार्य योजना

(राशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	अव्यवय	इकाई लागत/हे०	सहायता अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की राशि/हे०	वित्तीय वर्ष 2026–27 में देय अनुदान की राशि	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	8	9	10
1	वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 2024–25 में लगाए गए ड्रैगन फ्रूट का 2nd Year Maintenance	7.5	40%	3.00	अनुदान की राशि का 20% (0.60)	22.70	13.620

निदेशक उद्यान –सह– मिशन निदेशक,
राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना।

(रूबी कुमारी)

अनूसुची–2

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगाए गए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट विकास योजना का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2026–27 का वित्तीय लक्ष्य (@0.60 लाख/हे०)
1	*2*	*3*	*4*
1	गोपालगंज	0.40	0.240
2	सारण	0.20	0.120
3	सीवान	0.80	0.480
4	सुपौल	1.50	0.900
5	औरंगाबाद	1.00	0.600
6	बेगुसराय	0.90	0.540
7	भागलपुर	4.10	2.460
8	गया	3.78	2.268
9	कटिहार	2.26	1.356
10	नालंदा	1.36	0.816
11	पश्चिम चम्पारण	1.60	0.960
12	पूर्णियाँ	2.40	1.440
13	समस्तीपुर	2.40	1.440
	कुल	**22.70**	**13.620**

निदेशक उद्यान –सह– मिशन निदेशक,
राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना।

(रूबी कुमारी)

अनुसूची–3

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगाए गए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट विकास योजना का जिलावार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य

(वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वित्तीय लक्ष्य (सामान्य श्रेणी)
1	*2*	*3*
1	जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज	0.240
2	जिला उद्यान पदाधिकारी, सारण	0.120
3	जिला उद्यान पदाधिकारी, सीवान	0.480
4	जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल	0.900
5	जिला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद	0.600
6	जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगुसराय	0.540
7	जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर	2.460
8	जिला उद्यान पदाधिकारी, गया	2.268
9	जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार	1.356
10	जिला उद्यान पदाधिकारी, नालंदा	0.816
11	जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण	0.960
12	जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ	1.440
13	जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर	1.440
कुल		**13.620**

निदेशक उद्यान –सह– मिशन निदेशक,
राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना।

(रूबी कुमारी)